सं0 सं0–टी–3(यो0)/भवन–02/2018–......1702....../

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), नियोजन भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

प्रेषक,

विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

/पटना, दिनांक–...23.../...7.../2018

विषय:– राज्य सरकार के सात निश्चय के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तेघड़ा (बेगूसराय) के प्रशासनिक भवन, कर्मशाला भवन, स्टाफ हॉस्टल, कैन्टीन ब्लॉक, प्राचार्य आवास, उप प्राचार्य आवास, चहारदीवारी, पहुँच पथ, स्थल विकास, फर्नीचर एवं फर्निशिंग कार्य हेतु कुल राशि **1758.00 लाख (सत्रह करोड़ अनठावन लाख)** रू0 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य सरकार के सात निश्चय के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तेघड़ा (बेगूसराय) के प्रशासनिक भवन, कर्मशाला भवन, स्टाफ हॉस्टल, कैन्टीन ब्लॉक, प्राचार्य आवास, उप प्राचार्य आवास, चहारदीवारी, पहुँच पथ, स्थल विकास, फर्नीचर एवं फर्निशिंग कार्य हेतु कुल राशि **1758.00 लाख (सत्रह करोड़ अनठावन लाख)** रू0 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–1142 (भ0), दिनांक–05/02/18 द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में राज्य स्कीम के अन्तर्गत प्रदान की जाती है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:–

क्र0सं0	संस्थान का नाम एवं पता	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तेघड़ा (बेगूसराय) स्थायी पता:– अंचल– भगवानपुर, मौजा– उसिचक, खाता सं0–18, खेसरा सं0–31, रकवा–2.05 एकड़।	1. BUILDINGS (A) Institutional Building & workshop	10,64,71,544.00
		(B) Staff Hostel	2,00,99,958.00
		(C) Canteen Block	92,52,921.00
		(D) Principal Residence	26,28,915.00
		(E) Vice-Principal Residence	18,35,676.00
		SUM	**14,02,89,014.00**
		2. Boundary Wall, Approach Road & Campus Development with Rain Water Harvesting @ 15% of SUM	2,10,43,352.00
			16,13,32,366.00
		3. Furniture/ Furnishing @10% of A, B & C	1,35,82,442.00
		Sub Total	**17,49,14,808.00**
	4. Contigency	@1.0% upto Rs.100Lac	1,00,000.00
		@0.5% above Rs.100Lac	8,24,574.00
		Total	**17,58,39,382.00**
		OR Say Rs.	**1758.00 Lacs**

2- इस योजनान्तर्गत राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 60–अन्य भवन, लघु शीर्ष 051–निर्माण, उप शीर्ष–0112–औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन, विपत्र कोड–**03-4059600510112**, राज्य स्कीम के विषय शीर्ष **-0112.53.01** मुख्य निर्माण कार्य से **1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़)**, मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 60–अन्य भवन, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0106 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का निर्माण, विपत्र कोड–**03-4059607890106**, राज्य स्कीम के विषय शीर्ष **-0106.53.01** मुख्य निर्माण कार्य से **200.00 लाख (दो करोड़)** तथा शेष राशि **58.00 लाख (अनठावन लाख)** मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 60–अन्य भवन, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष–0103 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का निर्माण, विपत्र कोड–**03-4059607960103**, राज्य स्कीम के विषय शीर्ष**-0103.53.01** मुख्य निर्माण कार्य से वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से किया जाएगा। निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में स्वतः आगे की वित्तीय वर्षों में संबंधित शीर्षों में उपबंधित/प्रावधानित राशि से व्यय किया जाएगा। इस राशि के व्यय में वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक– 17–04–1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

कृ0पृ0उ0

3– इस राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव/सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4– इस राशि की निकासी कोषागार, तेघड़ा (बेगूसराय) से की जायेगी।

5– कार्य का भौतिक, वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से महालेखाकार एवं निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण को मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रूप में समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6– प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री तथा माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

7– संचिका संख्या–टी–3 (यो०)/भवन–02/2018 के पृष्ठ –15 /टि0 पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक– टी–3 (यो०)/भवन–02/2018 –1702 /प ट ना, दिनांक–23/7/2018

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/श्रमायुक्त–सह–आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक– टी–3 (यो०)/भवन–02/2018 –1702 /प ट ना, दिनांक–23/7/2018

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/जिला कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी, तेघड़ा, बेगूसराय/कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, बेगूसराय/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तेघड़ा (बेगूसराय)/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/आई० टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग